



# भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश

राज्य मुख्यालय,

इण्टि मार्ग, इयामला हिल्स, भोपाल-03

Phone 2661263, 2737446 Fax: 2737446 Website: bsgmp.net

E\_mail: Scoutguide\_bpl@dataone.in

bsgmadyapradesh@gmail.com

क्रमांक/11109 /गति./2014-15  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 8-9-14

समस्त सहायक राज्य संगठन आयुक्त-स्काउट/गाइड  
समस्त जिला संगठन आयुक्त स्काउट/गाइड  
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश  
समस्त संभाग/जिले म.प्र. ।

विषय :- राज्य मुख्यालय को जानकारी भेजने बाबत ।


प्रतिवर्ष अनुसार सभी संभाग एवं जिलों की राज्य मुख्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों व लक्ष्य के आधार पर की गई पूति अनुसार माह जुलाई 2014 से सितम्बर 2014 तक की ग्रेडिंग, इस माह के अंत में जारी की जाना है। यदि आपके द्वारा आपके संभाग/जिले की आवश्यक जानकारी राज्य मुख्यालय को उपलब्ध नहीं करवाई गई है तो अनिवार्यतः इसी सप्ताह में उपलब्ध करावे, अन्यथा ग्रेडिंग में जानकारी का समावेश न पाने के लिये आप उत्तरदायी होंगे ।

02. निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी एक सप्ताह में लिखित में प्रेषित करें -

- 2.1. द्वितीय चरण/रजत पंख, तृतीय चरण/स्वर्ण पंख, द्वितीय सोपान एवं तृतीय सोपान के शिविरों की तिथि, संख्या, संचालक मंडल की जिलेवार जानकारी ।
- 2.2. जिलेवार बेसिक, कबमास्टर, स्काउट मास्टर, रोवर लीडर, बेसिक लाक लीडर, गाइड कैप्टिन, रोवर लीडर की जिलेवार, संख्यावार शिविर की तिथि, संचालक मंडल की जानकारी ।
- 2.3. जिलेवार लंबित भेजे गये पंजीयन राशि का ब्यौरा जिन जिलों से राशी प्राप्त नहीं हुई उनसे प्राप्त कर भेजी जावे ।
- 2.4. जिलेवार राज्य मुख्यालय भंडार से क्रय की गई सामग्री एवं जिले में विक्रय की गई सामग्री की राशि एवं राज्य मुख्यालय को प्रेषित की गई राशि का विवरण ।
- 2.5. जिलेवार पत्रिका के साधारण एवं आजीवन सदस्यों की संख्या में वृद्धि तथा जिलों से भेजे गये विज्ञापन की राशि की माहवार जानकारी ।
- 2.6. जिले में लंबित राशि भंडार, स्टीकर एवं अन्य राशि राज्य मुख्यालय भिजवाने हेतु तिथि से अवगत करावे ।
- 2.7. राज्य मुख्यालय के कार्यक्रमों में संभाग की जिलेवार प्रतिभागिता की जानकारी दिनांक 10 सितम्बर 2014 तक भेजे ।
- 2.8. जिला संघ में रिक्त डी.ओ.सी. (एस/जी), डी.टी.सी. (एस./जी) काउंसलर के रिक्त पदों के भरने की समय सीमा 30 सितम्बर 2014 निर्धारित है अतः नाम के प्रस्ताव भेजे जावे ।
- 2.9. सभी कक्षों की जानकारीयाँ/सूचियाँ कम्प्यूटरीकृत की जावे ।
- 2.10. ए.एस.ओ.सी. कार्यालय, जिला कार्यालय के पदस्थ लिपिक, भंडार सामग्री का विक्रय कर प्रति

सप्ताह विक्रय की स्थिति से भंडार प्रभारी को अवगत करावें ।

सभी कैंप, प्रशिक्षण केन्द्रों में रखे जावे । उक्त बिंदुओं की प्रगति के आधार पर संविदा वृद्धि एवं वेतन जारी करने हेतु एस.ओ.सी.(एस/जी) द्वारा प्रतिवेदन दिया जावेगा ।

  
(जी.आर.शर्मा)


राज्य सचिव

भोपाल, दिनांक 8.9.14

क्रमांक/ 11110 /गति./2014

प्रतिलिपि - पालनार्थ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ :-

1. राज्य मुख्य आयुक्त, भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र., राज्य मुख्यालय, भोपाल म.प्र.।
2. संयुक्त राज्य सचिव, भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र., राज्य मुख्यालय, भोपाल म.प्र.।
3. एस.ओ.सी. (स्काउट)/एस.ओ.सी. (गाइड), एस.टी.सी.(स्काउट)/एस.टी.सी.(गाइड)
4. लेखाधिकारी, भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र., राज्य मुख्यालय, भोपाल म.प्र.।
5. कार्यालयीन/कक्ष प्रति ।

  
(जी.आर.शर्मा)

राज्य सचिव

(जी.आर.शर्मा)

राज्य सचिव

भोपाल, दिनांक

भोपाल म.प्र.।

मुख्यालय, भोपाल म.प्र.।

एस.टी.सी.(गाइड)

भोपाल म.प्र.।

(जी.आर.शर्मा)

राज्य सचिव